



नेतरहाट आवासीय विद्यालय

नेतरहाट

पो०-नेतरहाट, जिला-लातेहार

(An Autonomous Institute under Societies Reg. Act 1860, School Education and Literacy Dept. Govt. of Jharkhand)

संख्या - 1585

दिनांक-23.08.2018

पुनर्निविदा सूचना

निविदा सूचना संख्या-1106, दिनांक-29.06.2018 के संदर्भ में निम्नांकित सामग्रियों के कोड में निविदा अर्हताओं के अनुरूप बीड प्राप्त न होने की स्थिति पुनर्निविदा प्रकाशित की जा रही है। जो निविदादाता पूर्व में निविदा जमा किये थे, उन्हें भी पुनर्निविदा में भाग लेने की आवश्यकता होगी।

1.	निविदा का नाम	विविध सामग्रियों के क्रय एवं आपूर्ति हेतु।
2.	कार्यालय का नाम एवं पता	प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट पो०-नेतरहाट, जिला-लातेहार, पिन-835218
3.	सामग्रियों का नाम	कोड-05 (फॉर्म अण्डा, ब्रायलर मुर्गा, खस्सी मांस, मछली इत्यादि) कोड-09 (पेंट,पेंटब्रश,कांटी,तिरपाल,टेंट,बक्सा,आदि) कोड-13 (सिलाई-कुर्ता,फुलपैट,षर्ट,ब्लेजर,गरमकोट आदि) कोड-14 (सर्जना पत्रिका की छपाई) कोड-15 (दवा,उपकरण आदि) कोड-17 (साबुन,फिनायलतेल,रूमफ्रेषनर,मोमबती,बैट्री आदि) कोड-21 (प्लम्बरिंग सामग्री) कोड-23 (काला जूता एवं सफेद पी.टी. शू)
4.	निविदा भेजने का पता	प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट पो०-नेतरहाट, जिला-लातेहार। पिन कोड-835218
5.	वेबसाइट का नाम एवं निविदा प्रसारण तिथि	WWW.netarhatvidyalaya.com पर दिनांक 23.08.2018, समय 1.00 बजे अपराह्न से उपलब्ध।
6.	बिल ऑफ क्वांटिटी प्राप्त करने का माध्यम	विद्यालय कार्यालय से हाथो-हाथ निविदा राशि जमा करने के पश्चात्।
7.	बिल ऑफ क्वांटिटी प्राप्त करने की अंतिम तिथि	05.09.2018 के पूर्वाह्न 11:30 तक
8.	निविदा जमा करने की अंतिम तिथि	11.09.2018 समय 11.30 बजे पूर्वाह्न तक।
9.	निविदा खुलने की तिथि	11.09.2018 समय 03.30 बजे अपराह्न (टेक्नीकल बीड) एवं 18.09.2018 (11.00 बजे पूर्वाह्न) अथवा कार्यालय सुविधानुसार तिथि परिवर्तन की जा सकती है। फिनांसियल बीड, केवल वैसे आपूर्तिकर्ता जो टेक्नीकल बीड में सफल पाये गये हो।
10.	संबंधित व्यक्तियों की विवरणी	1. प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय। दूरभाषनं०-9572114242 ईमेल principal.netarhat@gmail.com 2. कोषपाल फोन नं. - 9771521409 ईमेल- bursarnvs@gmail-com
नोट :-निविदा सूचना, निविदा नियम एवं शर्तें, निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि एवं अन्य सभी प्रकार की वांछित सूचनाएँ/निविदा संबंधी कागजात विद्यालय कार्यालय में पूर्वाह्न 10 बजे से अप० 1 बजे तक संबंधित राशि जमा कर प्राप्त की जा सकती है।		
		ह०/- प्राचार्य नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट।



नेतरहाट आवासीय विद्यालय

नेतरहाट

पो०- नेतरहाट, जिला – लातेहार

(An Autonomous Institute under Societies Reg. Act 1860, School Education and Literacy Dept. Govt. of Jharkhand)

निविदा नियम (Tender Rule)

नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के लगभग 500 विद्यार्थियोंके लिए एवं अन्य उपयोग में लायी जाने वाली खाद्य सामग्रियों एवं विविध सामग्रियों के क्रय एवं आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदायें प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट के नाम आमंत्रित की जाती है।

1. मुहरबंद निविदाएं हाथों हाथ अथवा स्पीड पोस्ट द्वारा दिनांक 11.09.2018 को 11.30 बजे पूर्वाह्न तक प्राचार्य कार्यालय में स्वीकार की जाएगी। निविदाएँ निम्न दो भागों में विभाजित होंगी—

(क) Envelope I (Technical Bid)-टेक्नीकल बीड में लगने वाले कागजात/दस्तावेजों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति + निविदा शुल्क + अग्रधन की राशि (टेक्नीकल बीड में लगने वाले दस्तावेजों की सूची अगले पृष्ठ पर अंकित है)।

(ख) Envelope II (Financial Bid)-वस्तु/सामग्री की निविदित दर तालिका की वित्तीय बीड सार्थ के हस्ताक्षर एवं मोहर के साथ। (जिन-जिन सामग्रियों के लिए बीड डालने हो लिफाफे के ऊपर सामग्री का नाम एवं कोड अंकित करना अनिवार्य है)।

नोट :-उक्त दोनों लिफाफे एक बड़े लिफाफे के अंदर सील बंद होने चाहिए।

2. सुरक्षा राशि एवं निविदा शुल्क :-

निविदा शुल्क— सार्थ के द्वारा निविदा शुल्क के रूप में प्रत्येक बिल ऑफ क्वांटिटी के लिए रूपया 1000/- नगदी अथवा SBI द्वारा निर्गत प्राचार्य,नेतरहाट आवासीय विद्यालय के नाम से बैंक ड्राफ्ट जो लोहरदगा शाखा के नाम से भुगतये हो, जमा करने होंगे। नगदी जमा की प्राप्ति रसीद को टेक्नीकल बीड के लिफाफे में अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

सुरक्षा राशि — निविदाताओं को निविदा के साथ सुरक्षा राशि के रूप में बिल ऑफ क्वांटिटी में अंकित राशि का एन.एस.सी./बैंक गारंटी प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय के नाम से जमा करना आवश्यक होगा। निविदा में असफल निविदाताओं की सुरक्षा राशि निविदा पश्चात् वापस कर दिए जायेंगे। सफल निविदाताओं की सुरक्षा राशि 01 वर्ष तक के लिए रखे जायेंगे। निविदा नियमों का उलंघन करने पर सुरक्षा राशि जब्त कर ली जायेगी।

3. निविदा प्रसारित करने की तिथि 23.08.2018 है,जो विद्यालय वेबसाईट www.netarhatvidyalaya.com

पर उपलब्ध है। निविदा हाथों हाथ अथवा स्पीड पोस्ट के द्वारा दिनांक 11.09.2018 के पूर्वाह्न 11.30 बजे तक ली जाएगी एवं उनके अधिकृत प्रतिनिधि के सम्मुख दिनांक 11.09.2018 को अपराह्न 3:30 बजे खोली जाएगी। टेक्नीकल बीड में सफल पाये गए आपूर्तिकर्ताओं के ही फिनांसियल बीड दिनांक-18.09.2018 को खोले जाएंगे।

4. यह निविदा जुलाई 2018 से जून 2019 तक वैध रहेगी।

5. अंतिम तिथि के पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।

6. निविदा को किसी भी समय रद्द करने का एकस्वाधिकार प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय को होगा।

प्राचार्य
नेतरहाट आवासीय विद्यालय
नेतरहाट।

नेतरहाट आवासीय विद्यालय
नेतरहाट
निविदा शर्त

टेक्नीकल बिड में लगने वाले दस्तावेज निम्न होंगे :-

- (A) सार्थ/कंपनी/आपूर्तिकर्ता का पूरा नाम एवं पता एक अलग Letter head में।
- (B) व्यवसाय का रजिस्ट्रेशन संबंधित प्रमाण पत्र (एकाकी व्यापार, साझेदारी व्यापार अथवा कम्पनी जो भी लागू हो)
- (C) JVAT-2005 के निबंधन संबंधी प्रमाण पत्र
- (D) आयकर प्रमाण पत्र (निविदादाता प्रतिष्ठान अथवा प्रोपराईटर के पैन कार्ड की स्व अभिप्रमाणित प्रति)
- (E) GST निबंधन प्रमाण पत्र।
- (F) सार्थ को Gem portal में Registerd होना आवश्यक है।
- (G) वित्तीय वर्ष 2017-18 के आयकर एवं GST Return की अद्यतन प्रमाण पत्र।
- (H) GST स्वच्छता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है। (GST Practitioner द्वारा भी मान्य होंगे।)
- (I) प्रत्येक वस्तु आपूर्ति कोड हेतु सार्थ को प्रभावी कर यथा GST में निबंधित होना आवश्यक है।
- (J) वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंकेक्षण प्रतिवेदन की छाया प्रति।
- (K) प्रत्येक कोड के लिए सार्थ को विगत दो वर्षों का सरकारी/अर्द्धसरकारी क्षेत्र में कार्यानुभव होना चाहिए। खाद्य सामग्रियों, फल एवं साग-सब्जियों के आपूर्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्गत Food Safety License की छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
- (L) Electronics (कोड-08), Electric and Sound (कोड-26) एवं Sports Item (कोड-05) के लिए संबंधित क्षेत्र के Dealer को प्राथमिकता दी जाएगी।

नोट :- 1. उपर्युक्त वांछित सभी दस्तावेजों की स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

2. कोड संख्या-05 (मांस, मछली, अण्डा, मुर्गा) के टेकनिकल बीड में पैन नं0 की छाया प्रति एवं आयकर रिटर्न 2017-18 की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। इस कोड संख्या में A से L तक के सभी कागजातों को संलग्न करना आवश्यक नहीं है।

3. शेष सभी कोड सामग्रियों के लिए सभी दस्तावेजों को संलग्न करना आवश्यक होगा।

नियम एवं शर्त :-

1. निविदा के लिफाफे पर सार्थ का नाम एवं पता, निविदा संख्या एवं दिनांक, निविदा प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं जिन सामग्रियों हेतु निविदा दी गई हो कोड के साथ अंकित करना आवश्यक होगा।
2. सार्थ यदि आदेशित सामग्री क्रयादेश में निर्धारित तिथि, समय एवं राशि पर आपूर्ति नहीं करते हैं तो विद्यालय द्वारा एक अनुस्मार दिया जाएगा।
3. आपूर्ति फिर भी न करने पर विद्यालय द्वारा निम्न कदम उठाये जा सकते हैं :-
 - (i) आदेशित सामग्रियों का क्रय विद्यालय द्वारा खुले बाजार से कर लिया जायेगा। सार्थ द्वारा उठायी गई आपत्ति पर कोई विचार नहीं होगा।
 - (ii) आदेशित राशि सार्थ के दूसरे विपत्र से काट ली जायेगी।
 - (iii) ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
 - (iv) संबंधित आपूर्तिकर्ता को काली सूची में डाल दिया जायेगा एवं उन्हें अगले तीन वर्षों के लिए विद्यालय की निविदा में भाग नहीं लेने दिया जायेगा।
 - (v) अग्रधन/जमानत की राशि जब्त कर ली जायेगी।
 - (vi) ठेका रद्द करने के उपरान्त निविदा में सफल दूसरे सार्थ को ठेका देने पर विचार किया जायेगा।
4. निविदा खुलने वाली तिथि में सार्थों को नमूनों के साथ आना होगा। सफल सार्थों को आदेशोपरांत आपूर्ति के वक्त, मिलान के समय नमूनों को लाना आवश्यक होगा। नमूनों को मिलान आपूर्ति की गई सामग्रियों से किया जाएगा मिलान के वक्त क्रय समिति की स्वीकृति के पश्चात ही सामग्रियों स्वीकार की जाएगी।
5. बिल ऑफ क्वांटिटी में लिखित ब्राण्ड/क्वालिटी के अनुसार ही सामग्रियों का दर एवं आपूर्तियाँ मान्य होंगे।
6. आपूर्ति हेतु विद्यालय द्वारा सार्थ को नियत समयावधि दी जायेगी जिसे सार्थ को स्वीकार करना होगा। अस्वीकार की स्थिति में सार्थ के ठेका रद्द किया जा सकता है।
7. सभी सामग्रियों की आपूर्ति का दर एफ.ओ.आर. नेतरहाट आवासीय विद्यालय होगा।
8. निविदा में उल्लेखित सामान की मात्रा एवं अवधि घटायी बढ़ायी जा सकती है। यह आवश्यक नहीं की सबसे कम दर वाली निविदा ही स्वीकार की जाय। यदि कम दर वाली निविदा स्वीकार नहीं की जाती है तो इसका कारण देना आवश्यक नहीं होगा। चयनित सामग्री में अंकित मूल्य पर वार्ता (निगोसियेशन) किया जा सकता है।
9. सामग्री की आपूर्ति स्वीकृत नमूने/ब्रान्ड के अनुसार ही ली जाएगी। ब्रान्ड स्पष्ट न करने पर नमूना के बिना रेट पर विचार नहीं होगा।
10. प्रत्येक वस्तु कोड हेतु सार्थों के चयन में पूर्ण एकस्वाधिकार नेतरहाट विद्यालय का होगा।
11. निविदा में सार्थ का चयन L1 पर किया जाना अनिवार्य नहीं होगा। वस्तुओं की गुणवत्ता एवं विद्यालय की आवश्यकताओं के अनुरूप वस्तुओं/सामग्रियों हेतु सार्थ का चयन किया जायेगा। निर्णय के विरुद्ध किसी भी प्रकार का प्रस्ताव/वाद स्वीकार्य नहीं होगा।
12. चयनित सार्थ से आवश्यकता अनुरूप ही सामानों का क्रय किया जायेगा। इसके विरुद्ध सार्थ द्वारा किसी भी प्रकार का वाद स्वीकार नहीं होगा।

13. प्रत्येक निविदा में प्रत्येक सामग्रियों का दर अंक एवं शब्दों में देना आवश्यक है।

14. दाम के साथ संबंधित कम्पनी/मेक का भी उल्लेख रहना आवश्यक है ।
15. विलम्ब से प्राप्त निविदा या अग्रधन के बिना निविदा स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
16. निविदा जमा करने के उपरान्त आंशिक या पूर्णरूप से निविदा वापस लेने पर जमानत की राशि जब्त कर ली जाएगी ।
17. TDS की कटौती Income Tax Act 1961 के नियमानुसार की जायेगी ।
18. JGST Act, 2017 के अधीन TDS लागू होने पर नियमानुसार TDS के कटौती की जायेगी ।
19. दिये गए आदेश से अधिक मात्रा की आपूर्ति किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं की जाएगी ।
20. चावल की आपूर्ति जूट बोरे में ही ली जायेगी। सार्थ द्वारा जूट बोरे में आपूर्ति नहीं करने पर आपके विपत्र से 10% की राशि दंड स्वरूप काट ली जायेगी ।
- 21.. निविदा रद्द होने पर निविदा शुल्क की राशि वापस नहीं की जायेगी अर्थात निविदा शुल्क गैर वापसी प्रकृति की होगी ।
22. प्राचार्य का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा ।
23. टेका को किसी भी समय रद्द करने का अधिकार प्राचार्य, नेतरहाट आवासीय विद्यालय को होगा, तथा इस निर्णय के विरुद्ध सार्थ का किसी भी प्रकार का प्रस्ताव अथवा वाद स्वीकार्य नहीं होगा ।
24. वित्तीय बीड में कॉट-छॉट अथवा Overwriting रहने पर संबंधित संवेदक के निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा एवं उसे रद्द समझते हुए अगले सार्थ पर विचार किया जायेगा ।

प्राचार्य
नेतरहाट आवासीय विद्यालय
नेतरहाट ।